झारखंड सरकार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

जिला नियोजनालय,चतरा।

नामांकन की सूचना

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया में SCVT के अंतर्गत सितंबर 2017 से प्रारंभ होने वाले सत्र 2017–18–19 में निमनांकित व्यवसायाओं में प्रवेश के निमित इच्छुक आवेदक/आवेदिकाओं से अनुसूचि (क) के अनुरूप टंकित/हस्तलिखित आवेदन पत्र 15–07–2017 से संध्या 5:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट से जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, चतरा, पिन 825401 द्वारा निम्न शर्तों के अनुरूप आमंत्रित किया जाता है।

2. प्रवेश पाने हेतू शैक्षणिक योग्यात DGT द्वारा निर्धारित शैक्षिण योग्यता के समरूप होगा। जो निम्न व्यवसाय के लिए निम्नवत है–

Electrician, Fitter & Mechanic Diesel – Pass 10 th class under 10+2 System of education with Science & Mathematics or its equivalent welder & Pass 8th class eximaination.

(क) नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपने बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जाएगा।

3. आयु अहर्त्ता : (क) 01 जुलाई 2017 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक 10वां समकक्ष के मूल/अपबंधिक प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही वैद्य होगी। आठवां (8वां) स्तर व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उतीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि वैद्य होगी।

4. प्रशिक्षण के लिए शरीरिक योग्याता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण की अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

5. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पंजीयन शुल्क के रूप में 100/–(एक सौ रूपये) मात्र का पोस्टल ऑडर देना होगा। जो प्राचार्य औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया के पदनाम से भुगतेय होगा। किसी भी शर्त पर यह राशि नकद राशि के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। पोस्टल ऑडर एक माह के अंदर होना चाहिए। आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

6. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/–(पच्चास रूपये) मात्र कौशल मनी (अवधान राशि) के रूप में जमा करना होगा। अगर छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिए जाने पर उसकी कीमत कौशल मनी से काट ली जाएगी तथा अन्य उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तीर्ण करने के बाद छात्र एक वर्ष के अंदर कौशल मनी वापस नहीं लेते हैं तो इस जप्त कर लिया जाएगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जाएगा। संस्थान में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृति मिल सकती है।

8. आरक्षण आहर्ता : (क) आरक्षण प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग के ज्ञापांक–071 नीति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886/ रांची दिनांक 21–09–2011 के अनुसार रहेगा।

(ख) मेरिट से चुने गए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा। बल्कि खुली गुणा–गुण कोटी के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जाएगा।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है। अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।

(घ) सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए (किसी भी वर्ग क) आरक्षित है।

(ड) बाकी बचे सुपरन्यूमरी सीट में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

नमांकन हेतू व्यवसाय विवरणीः–

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरियाः

कमांक	व्यवसाय का नाम	कुल युनिट	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि
1	विद्युत	2+2	42	दो वर्ष
2	फिटर	2+2	42	दो वर्ष
3	डीजल मैकनीक	02	42	एक वर्ष
4	बेल्डर	02	32	एक वर्ष

9. आवासीय अहर्त्ता : औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं। जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रत्रांक –14/ स्थानीयता नीति –14–03–2016 का 4650 दिनांक 02 जून 2016 (संकल्प संख्या 3198 दिनांक 08–04–2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित

किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधीकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. जाति आधारित अहर्ता :– नामांकन में झारखंड सरकार द्वारा लागू अध्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षम पदाधिकारी (अंचलाधीकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. नामांकन सूचना व आवेदन प्रपत्र का अवलोकन जिला नियोजनालय चतरा एवं औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया में सभी कार्य दिवसों में कार्यावधी में आकर किया जा सकता है। साथ ही नामांकन सूचना एवं आवेदन प्रपत्र www.chatra.nic in or Jharkhand gov.in पर देखा जा सकता है या आवेदन प्रपत्र के प्रति जिला नियोजनालय चतरा से प्राप्त कर सकते हैं।

12. अधुरा विलंब से (अपराहन 5:00 बजे दिनांक 15–07–2017 के बाद) नियत राशि से कम एवं बिना पोस्टल ऑडर वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोडल पदाधिकारी

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया

सह

जिला नियोजन पदाधिकारी, चतरा

vu|l|ph ^d^

नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामः—--

2- mEehnokj dk uke ¼vxzsth d cM v{kjk e½&--

¼fgUnh e½&---

3- ¼d½ firk dk uke ½&---

¼[k½ vfHkHkkod dk uke ½&--

4- firk@vfHkHkkod dk पेशाः—--

5- mEehnokj dk ijk irk ½&---

¼d½ LFkk;h irk ½&---

¼[k½ Fkkuk ½&--------------------------------------xg ftyk-----------------------------------fiu u0-------------------------------

¼x½ i=kpkj dk irk ½&---

6- उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :—--

7- tUe frfFk ¼iek.k&i= vHkhiekf.kr ifr d lkFk½ ½&--

8- fnukd 1 tykbZ 2017 dk vk; ½&--

9- 'k{kf.kd ;kX;rk ½&

dl;k प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें:—

Ø0	ijh{kk dk uke	ckM@ विश्वविद्यालय dk uke	fo|ky;@ egkfo|ky; dk uke	उत्तीर्ण होने का o"k ¼okf"kd@ijd½	J.kh	iklrkd	dy vd	ijh{kk d fo"k;	vH;fDr
1									
2									
3									
4									

ukV½& vkond lHkh 'k{kf.kd ;kX;rk l lcf/kr iek.k&i=k dh vfHkiekf.kr Nk;k ifr;k lyXu djA

10- D;k mEehnokj vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr@vR;Ur foNMk ox@fiNMk ox d lnL; g \½&-----------

----

11- D;k mEehnokj Hkrio lfud ;k mud vkfJr g \½&--

12- D;k mEehnokj fodykx g \½&---

13- पिता/अभिभावक की वाशिक आय और परिवार के वयस्क ऐवं नाबालिक की अलग—अलग संख्या ½&---------------------

14- vkond i= d lkFk vkonu ifth;u 'kYd ¼100@& :i; ek=½ d :i e lyXu ikLVy vkMj dh l[;k fuxr gku की तिथि तथा राशि :—--

15- vuyXud dh fooj.kh ½&1½---2½---3½---

4½---5½---6½---7½---

e -- firk dk uke--

iekf.kr djrk g@djrh g fd mi;Dr lpuk ej }kjk Hkjh xb g ,o lgh gA

vkonu nu dh frfFk vkond dk gLrk{kj

ukV ½& ¼1½ vulfpr tkfr@vulfpr tutkfr ,o vR;Ur foNMk ox@fiNMk ox Hkrio lfud ;k mud vkfJr ,o fojxfr iklr lfud d vkfJrk dk vpy inkf/kdkjh@ftyk mik;Dr@ftyk lkYtl ckM ¼tk lcf/kr iek.k i= nu d fy, l{ke gk½ से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण—पत्र अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है।
¼2½ fodykxk dk viuk vkonu i= nr le; ,d Qy lkbt dk QkVk nuk gkxk rFkk ftyk vLirky d vkFkk&ifMDl d foHkkxk/;{k@ftyk d vlfud 'kY; fpfdRld (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र Hkh lyXu djuk gkxkA nlj fdlh fpfdRldk d iek.k i= dh ekU;rk ugh nh tk;xhA